श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 29/14

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ईमामदीन पुत्र नादर खॉ जाति मुसलमान निवासी हनुमानगढ हाल करड़वाली तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14–6–13 इंतकाल सं0 378

उपस्थित : श्री जितेन्द्र सरपाल, अधिवक्ता, अपीलांट
श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांकः 19–5–16**

प्रस्तुत अपील लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई। हस्तगत निगरानी राज0 पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 पेश की गई है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के नाम वाकेचक 6 एम एस डी तह0 रायसिंहनगर का मु0 नं0 43 प0 नं0 162/331 कि0नं0 9 ता 20 व 21 ता 25 नहरी मय खाल खातेदारी भूमि है, जिसपर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर फसल काश्त की हुई है। अपीलांट की उपरोक्त खातेदारी भूमि में से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण सं0 12/13 में दिनांक 4–3–13 को अपीलांट की भूमि कि0 नं0 21 ता25 प्रत्येक में 0.006 है0 रास्ता स्वीकृत कर, पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय को पत्र लिखे जाने का आदेश पारित किया गया है जिसपर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक 643 दिनांक 5–3–13 द्वारा राजस्व रेकार्ड में रास्ता स्वीकृत का अमल दरामद किये जाने हेतु प0 ह0 को लिखे जाने पर दिनांक 6–3–13 को अपीलाधीन इंतकाल सं0 378 दर्ज किया गया, दिनांक 12–6–13 को हल्का गिरदावर द्वारा मिलान किया गया। इसके उपरांत दिनांक 14–6–13 को उक्त रास्ता बाबत किसी न्यायालय में कोई विवाद नहीं होने या स्थगन नहीं होने का पृष्ठांकन किया गया। इसके बाद उप तहसीलदार, मुकलावा द्वारा दिनांक 14–6–13 को इंतकाल स्वीकृत किया गया। जिस आदेश के तहत अपीलांट की भूमि पर रास्ता स्वीकृत किया गया था, वहॉ मौका पर रास्ता कभी भी चालू नहीं हुआ तथा ना ही अब चालू है। मौका पर अपीलांट की फसल काश्त की हुई है। बिना कोई जॉच किये अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 4–3–13 केविरूद्व मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

श्रीगंगानगर (राजस्थान)

मेंअपील सं0 76/13 दायर की गई, जिसकेनिर्णय दिनांक 7–6–13 द्वारा अपील खारिज कर दी गई। उक्त आदेश दिनांक 7–6–13 के विरूद्व राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी सं0 3941/13 दायर की गई, जिसमें आदेश दिनांक 7–6–13 में वर्णित भूमि की मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक12–6–13 को पारित किये गये। स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–6–13 को पेश कर दिया था तथा जिसका अंकन पत्र प्राप्ति रजिस्टर में किया गया था। रास्ता बाबत निगरानी अब भी माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है। अपीलांट ने अपनी भूमि में रास्ता हेतु कभी सहमति नहीं दी है। अपीलाधीन इंतकाल से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल सं0 378 निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि जिस आदेश के तहत अपीलांट की भूमि पर रास्ता स्वीकृत किया गया था, वहॉ मौका पर रास्ता कभी भी चालू नहीं हुआ तथा ना ही अब चालू है। मौका पर अपीलांट की फसल काश्त की हुई है। बिना कोई जॉच किये अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 4–3–13 के विरूद्व मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील सं0 76/13 दायर की गई, जिसके निर्णय दिनांक 7–6–13 द्वारा अपील खारिज कर दी गई। उक्त आदेश दिनांक 7–6–13 के विरूद्व राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी सं0 3941/13 दायर की गई, जिसमें आदेश दिनांक 7–6–13 में वर्णित भूमि की मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिनांक 12–6–13 को पारित किये गये। स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–6–13 को पेश कर दिया था तथा जिसका अंकन पत्र प्राप्ति रजिस्टर में किया गया था। रास्ता बाबत निगरानी अब भी माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है। अपीलांट ने अपनी भूमि में रास्ता हेतु कभी सहमति नहीं दी है। अपीलाधीन इंतकाल से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल सं0 378 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि इंतकाल एक फिसकल इन्ट्री है, इससे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। प्रकरण मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है। अतः अपीलाधीन इंतकाल से अपीलांट के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। अपील सारहीन है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल प0 हल्का द्वारा दिनांक 6–3–13 को खोला गया तथा दिनांक 12–6–13 को हल्का गिरदावर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

श्रीगंगानगर (राजस्थान)

द्वारा मिलान किया गया था। मिलान में प0 हल्का द्वारा किया गया अंकन सही पाया, लेकिन दिनांक 14–6–13 को प0 हल्का द्वारा इंतकाल के खाना सं0 9 में अंकन किया गया कि " आज दिनांक तक किसी अन्य न्यायालय में कोई विवाद या स्थगन नहीं है" जबकि मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण सं0 3941/13 में दिनांक 12–6–13 को स्थगन आदेश पारित कर आर ए ए श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 7–6–13 में अंकित विवादित आराजी के मौके व रेकार्ड की आज की मौजूदा स्थिति को आगामी पेशी तक यथावत् कायम रखे जाने के आदेश पारित किए गए । अपीलांट का तर्क है कि मा0 मण्डल का स्थगन आदेश दस्ती प्राप्त कर दिनांक 13–6–13 को तहसीलदार, रायसिंहनगर को प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा एक दिन बाद दिनांक 14–6–13 को क्रम सं0 1735 पर प्राप्ति रजिस्टर में स्थगन आदेश के प्राप्त होने का इन्द्राज किया गया है। अपीलाधीन इंतकाल दिनांक 14–6–13 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। इससे यही प्रगट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को स्थगन आदेश की जानकारी थी और बिना अपीलांट को सुने एवं बिना स्थगन आदेश को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक भूल की गई है। ऐसी स्थिति में मा0 राजस्व मण्डल में निगरानी के विचाराधीन होने एवं स्थगन आदेश के होने से पड़ने वाले प्रभाव के लिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल सं0 378 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, मा0 राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी सं0 3941/13 के विचाराधीन होने एवं मा0 मण्डल द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 12–6–13 को दृष्टिगत रखते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 9–6–16 को पेश हों। आदेश की प्रति मय अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 19–5–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/5/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)